नई सोच का अखबार

अग्र भारत

www.agrabharat.in

दैनिक हिन्दी समाचार पत्र

वर्षः 19 | अंकः 52 | आगरा, शनिवार 01 अगस्त 2026 | पृष्ठः 8 मूल्यः 2.00 रू.

तीस्ता विवाद पर भारत की नई कूटनीति हो रही सफल! भारत से छीनकर चीन को दिया था तीस्ता प्रोजेक्ट

नई दिल्ली,(ए)। भारत और बांग्लादेश के बीच लंबे समय से लंबित तीस्ता रिवर प्रोजेक्ट को लेकर कूटनीतिक गलियारों में एक बड़ा सकारात्मक अपडेट सामने आया है। ढाका में भारत के उच्चायुक्त दिनेश त्रिवेदी ने इस संवेदनशील विवाद को सुलझाने के लिए बातचीत का एक नया रास्ता निकाला है। यह पहल ऐसे समय में हुई है जब बांग्लादेश में तीस्ता प्रोजेक्ट भारत के हाथ से फिसलकर चीन की झोली में जाने की चर्चाएं जोरों पर थीं, जिससे दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ रहा था। बुधवार को ढाका में बांग्लादेश के नए विदेश मंत्री डॉ. खलीलुर रहमान के साथ हुई दिनेश त्रिवेदी की हाई-प्रोफाइल बैठक के बाद जारी बयान ने चीन से लेकर बांग्लादेश तक हलचल तेज कर दी है। इस मुलाकात का सबसे बड़ा केंद्र तीस्ता नदी प्रोजेक्ट और गंगा जल

संधि जैसे संवेदनशील विवाद रहे। पत्रकारों द्वारा भारत से छिनते दिख रहे तीस्ता प्रोजेक्ट और गंगा जल संधि के नवीनीकरण जैसे लंबित मुद्दों पर सवाल पूछे जाने पर भारतीय उच्चायुक्त ने बहुत सहजता से स्थिति को संभाला। उन्होंने जोर देकर कहा कि यह मुलाकात भले ही मुख्य रूप से एक शिष्टाचार भेंट थी, लेकिन भारत और बांग्लादेश के बीच ऐसा कोई भी मसला नहीं है जिसे दोनों देश आपस में बैठकर बातचीत से हल न कर सकें। त्रिवेदी ने स्पष्ट किया कि आखिरकार बात दोनों देशों के लोगों की है। जो भी दोनों लोकतंत्रों और उनके नागरिकों के हित में होगा, उसे ही प्राथमिकता दी जाएगी। उनके इस बयान से साफ संकेत मिलता है कि तीस्ता प्रोजेक्ट को लेकर भारत ने बातचीत का एक नया रास्ता खोल दिया है, जिससे बांग्लादेशी हुकूमत और कूटनीतिक हलकों में नई हलचल शुरू हो गई है।

भारतीय उच्चायुक्त ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इस मुलाकात का अपडेट देते हुए लिखा कि उन्होंने बांग्लादेश के विदेश मंत्री खलीलुर रहमान से शिष्टाचार मुलाकात की और उन्हें आश्वस्त किया कि भारत पारस्परिक हितों एवं आपसी लाभ पर आधारित एक सकारात्मक, रचनात्मक और भविष्योन्मुख द्विपक्षीय साझेदारी के प्रति प्रतिबद्ध है। उन्होंने दोनों देशों के बीच लोगों से जुड़े सहयोग को सभी क्षेत्रों में और गहरा करने पर भी जोर दिया। इसके अतिरिक्त, उच्चायुक्त ने बांग्लादेश की विदेश राज्य मंत्री शमा ओबैद चिनॉय से भी मुलाकात की, जहां भारत-बांग्लादेश द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत बनाने के उद्देश्य से विभिन्न मुद्दों पर विस्तृत चर्चा हुई। दोनों मंत्रियों से अलग-अलग मुलाकात के बाद पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा, मैं हर चीज को सकारात्मक नजरिए से देख रहा हूं। हमारी बेहद सकारात्मक और सार्थक बैठक हुई।

तृणमूल के बागी सांसदों की बैठक से तीन सांसदों ने बनाई दूरी

नई दिल्ली,(ए)। संसद के मानसून सत्र के बीच राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आयोजित सांसदों की बैठक, जिसे मंगल मिलन नाम दिया गया था, अब राजनीतिक चर्चा का केंद्र बन गई है। इस बैठक में तृणमूल कांग्रेस से अलग होकर नया मोर्चा बनाने वाले बागी सांसदों को भी आमंत्रित किया गया था। अधिकांश बागी सांसद बैठक में पहुंचे, लेकिन तीन सांसदों की अनुपस्थिति ने नए राजनीतिक संकेतों को जन्म दे दिया।

जानकारी के अनुसार, बैठक से दूरी बनाने वालों में यूसुफ पठान, अबू ताहेर खान और खलीलुर रहमान शामिल हैं। ये तीनों सांसद उस दिन संसद में मौजूद थे, लेकिन एनडीए की बैठक में शामिल नहीं हुए। उनकी गैरमौजूदगी की पुष्टि केंद्रीय राज्य मंत्री सुकांत मजूमदार ने भी की। इसके बाद इन सांसदों की राजनीतिक रणनीति और भविष्य को लेकर अटकलें तेज हो गई हैं।

इस घटनाक्रम पर तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सौगत रॉय ने दावा किया कि ये तीनों सांसद एनडीए की विचारधारा से सहज नहीं हैं और पार्टी में वापसी का रास्ता तलाश रहे हैं। उन्होंने कहा कि यदि वे तृणमूल कांग्रेस में लौटना चाहते हैं तो औपचारिक आवेदन दे सकते हैं, जिसके बाद पार्टी नेतृत्व इस पर विचार करेगा। रॉय ने यह भी कहा कि ये सांसद स्वतंत्र और धर्मनिरपेक्ष सोच रखते हैं तथा एनडीए के साथ उनका वैचारिक मेल नहीं बैठता। दूसरी ओर, तृणमूल कांग्रेस ने अपने बागी सांसदों के खिलाफ कार्रवाई की मांग और तेज कर दी है। पार्टी ने लोकसभा अध्यक्ष से दल-बदल विरोधी कानून के तहत बागी सांसदों को तत्काल अयोग्य घोषित करने की मांग की है। तृणमूल का आरोप है कि केंद्र सरकार सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग कर पार्टी में विभाजन कराने का प्रयास कर रही है।

इसी मुद्दे को लेकर संसद परिसर में तृणमूल के निलंबित सांसद कल्याण बनर्जी ने सांकेतिक विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने गले में 20 गद्दार लिखा पोस्टर पहनकर बागी सांसदों के खिलाफ नाराजगी जताई और उन्हें तत्काल अयोग्य घोषित करने की मांग दोहराई। उधर, कोलकाता में तृणमूल नेता कुणाल घोष ने भी भाजपा और लोकसभा अध्यक्ष पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि संवैधानिक संस्थाओं और केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल कर तृणमूल कांग्रेस को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि पार्टी के टिकट पर चुने गए और बाद में अलग होकर नए समूह में शामिल हुए 20 सांसदों के खिलाफ दल-बदल कानून के तहत तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए।

तीन सांसदों की बैठक से गैरहाजिरी और तृणमूल की ओर से वापसी के संकेतों ने पश्चिम बंगाल की राजनीति में नई हलचल पैदा कर दी है। अब सभी की नजर इस बात पर है कि ये सांसद आगे किस राजनीतिक राह का चयन करते हैं और दल-बदल कानून के तहत लंबित कार्रवाई पर क्या फैसला होता है।

मुख्य चुनाव आयुक्त को चुनने में सीजेआई की भूमिका क्यों नहीं?

नई दिल्ली(ए)। मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) और चुनाव आयुक्तों (ईसी) की नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने महत्वपूर्ण सवाल उठाए हैं। अदालत ने कहा कि चुनाव आयोग केवल स्वतंत्र रूप से काम करे, इतना पर्याप्त नहीं है, बल्कि उसकी स्वतंत्रता जनता को स्पष्ट रूप से दिखाई भी देनी चाहिए। इसी संदर्भ में कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा कि जब सीबीआई निदेशक और लोकपाल के चयन पैनल में भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) को शामिल किया जाता है, तो चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति समिति से उन्हें बाहर रखने का आधार क्या है।

जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने केंद्र सरकार की उस मांग पर फैसला सुरक्षित रख लिया है, जिसमें मामले को बड़ी संविधान पीठ के पास भेजने का अनुरोध किया गया है। अदालत 2023 के उस कानून की संवैधानिक वैधता पर सुनवाई कर रही है, जिसके तहत मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा एक चयन समिति की सिफारिश पर की जाती है। इस समिति में प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता और प्रधानमंत्री द्वारा नामित एक केंद्रीय कैबिनेट मंत्री शामिल हैं।

सुनवाई के दौरान अदालत ने याद दिलाया कि वर्ष 2023 में पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने अंतरिम व्यवस्था के तौर पर निर्देश दिया था कि संसद कानून बनने तक नियुक्तियां प्रधानमंत्री, मुख्य न्यायाधीश और विपक्ष के नेता की समिति की सिफारिश पर हों। बाद में संसद ने नया कानून बनाकर मुख्य न्यायाधीश की जगह एक केंद्रीय मंत्री को चयन समिति में शामिल कर दिया।

केंद्र सरकार की ओर से अटॉर्नी जनरल आर. वेंकटरमणी और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत से कहा कि संसद के विधायी विवेक पर सवाल उठाना उचित नहीं है। उनका तर्क था कि किसी अन्य मॉडल की संभावना मात्र से संसद के बनाए कानून को गलत नहीं ठहराया जा सकता। सरकार ने यह भी कहा कि कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका तीनों संविधान के स्वतंत्र अंग हैं और एक-दूसरे के अधिकार क्षेत्र का सम्मान किया जाना चाहिए। सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि प्रधानमंत्री के निर्णयों पर लोकतांत्रिक व्यवस्था में भरोसा किया जाना चाहिए और यह मानकर नहीं चला जा सकता कि सरकार निष्पक्षता से काम नहीं करेगी। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि मामला प्रधानमंत्री पर अविश्वास का नहीं, बल्कि संस्थागत निष्पक्षता का है। अदालत ने कहा कि जैसे न्याय केवल होना ही नहीं चाहिए बल्कि होता हुआ भी दिखाई देना चाहिए, उसी प्रकार चुनाव आयोग की नियुक्ति प्रक्रिया भी पूरी तरह निष्पक्ष और पारदर्शी दिखनी चाहिए।

शिंदे की सेना के नेता हो रहे दीपके के फैन, होने लगी मुलाकात

मुंबई(ईएमएस)। महाराष्ट्र में सत्तारूढ़ गठबंधन में शामिल शिवसेना के विधान परिषद सदस्य बच्चु कडू ने गुरुवार को छत्रपति संभाजीनगर में कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के संस्थापक अभिजीत दीपके से मुलाकात की। कडू ने स्पष्ट किया कि यह मुलाकात निजी तौर पर हुई है और इसका उनकी पार्टी या सरकार से कोई संबंध नहीं है। उन्होंने खुद को एक आंदोलनकारी बताते हुए कहा कि वह दूसरे आंदोलनकारी से मिलने आए हैं। कडू ने कहा कि जंतर-मंतर पर प्रदर्शन करने और छात्रों के मुद्दों को उठाने के लिए अभिजीत दीपके की सराहना की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना किसी भी व्यक्ति का लोकतांत्रिक अधिकार है और आंदोलन करना कोई अपराध नहीं है।

दीपके को मिल रही कथित धमकियों पर प्रतिक्रिया देते हुए कडू ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को उन लोगों से बातचीत करनी चाहिए जो धमकियां दे रहे हैं और गलत व्यवहार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि किसी भी आंदोलन को दबाने के बजाय उसकी बात सुनी जानी चाहिए।

इससे पहले महाराष्ट्र सरकार में मंत्री संजय शिरसाट भी अभिजीत दीपके से मुलाकात कर चुके हैं। उन्होंने दीपके के लिए सुरक्षा की मांग उठाई थी। शिरसाट छत्रपति संभाजीनगर के वालुज एमआईडीसी क्षेत्र में दीपके के परिवार से मिलने पहुंचे थे। उन्होंने कहा था कि हर माता-पिता की तरह दीपके के परिवार को भी उसकी सुरक्षा की चिंता है।

शिरसाट ने कहा था कि अभिजीत दीपके ने एक नई पहल शुरू की है और उनके प्रयासों पर उन्हें गर्व है। उन्होंने कहा कि दीपके के महाराष्ट्र लौटने पर सुरक्षा उपलब्ध कराने के लिए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से चर्चा की जाएगी। मंत्री ने यह भी बताया था कि उन्होंने पहले परिवार से मुलाकात इसलिए नहीं की थी, क्योंकि इसे राजनीतिक रंग दिया जा सकता था। दीपके ने बोस्टन विश्वविद्यालय से जनसंपर्क विषय की पढ़ाई की है। शिरसाट के अनुसार, उन्हें अमेरिका में नौकरी का अवसर भी मिला था, लेकिन उन्होंने छात्रों के लिए काम करने का रास्ता चुना। मंत्री ने कहा कि दीपके के माता-पिता चाहते थे कि वह नौकरी करें, लेकिन उन्होंने सामाजिक मुद्दों को प्राथमिकता दी।

शिरसाट ने यह भी कहा कि दीपके का आंदोलन छात्रों की मांगें पूरी होने के बाद खत्म हो गया, लेकिन उनके प्रयास ने एक बड़े बदलाव की शुरुआत की। उन्होंने दावा किया कि दीपके का राजनीति से कोई संबंध नहीं है और उन्होंने आंदोलन का श्रेय लेने के बजाय समाज के समर्थन को महत्व दिया। इस बीच, कडू की मुलाकात के बाद मामले ने महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर चर्चा तेज कर दी है।

बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला के इस्तीफे की चर्चा तेज, एक्स प्रोफाइल से हटाया पार्टी पद

नई दिल्ली (ए)। भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला को लेकर राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं का दौर तेज हो गया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ङ्ग पर उनके प्रोफाइल में किए गए बदलाव के बाद उनके पार्टी से इस्तीफा देने की अटकलें लगाई जा रही हैं। हालांकि, समाचार लिखे जाने तक न तो शहजाद पूनावाला और न ही बीजेपी की ओर से इस्तीफे की आधिकारिक पुष्टि की गई है।

शहजाद पूनावाला ने अपने एक्स प्रोफाइल से नेशनल स्पोक्सपर्सन, बीजेपी का उल्लेख हटा दिया है। इसके स्थान पर उन्होंने अपने बायो में लिखा है धर्मः इस्लाम, संस्कृतिः हिंदू, विचारधाराः भारतीय, लेखकः जीएसटी की यात्रा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आजीवन अनुयायी। उन्होंने अपने अपडेटेड बायो का स्क्रीनशॉट भी साझा किया, जिसके साथ केवल मेरा अपडेटेड बायो लिखा।

इस्तीफे की अटकलें, लेकिन आधिकारिक घोषणा नहीं

सूत्रों के हवाले से दावा किया जा रहा है कि शहजाद पूनावाला ने निजी कारणों से पार्टी नेतृत्व को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। हालांकि, इस संबंध में अभी तक कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है। उन्होंने हाल के दिनों में अपने कुछ पुराने इंटरव्यू भी साझा किए हैं, जिनमें वे सक्रिय राजनीति छोड़ने की संभावना पर चर्चा करते दिखाई दिए थे।

2017 में कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में हुए थे शामिल

शहजाद पूनावाला वर्ष 2017 में कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए थे। इसके बाद वे पार्टी के प्रमुख टीवी प्रवक्ताओं में शामिल हो गए और राष्ट्रीय मुद्दों पर बीजेपी का पक्ष मजबूती से रखते रहे। अब उनके ङ्ग प्रोफाइल में बदलाव के बाद उनके राजनीतिक भविष्य को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं, जबकि अंतिम स्थिति आधिकारिक घोषणा के बाद ही स्पष्ट होगी।

पेपर लीक पर नया कानून और सख्तः परीक्षा माफिया पर शिकंजा कसने की तैयारी

नई दिल्ली,(ए)। देश में प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक और संगठित नकल के बढ़ते मामलों पर अंकुश लगाने के मकसद से केंद्र की मोदी सरकार ने सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) संशोधन विधेयक, 2026 को लोकसभा से पारित कराया है। यह विधेयक 2024 के एंटी-पेपर लीक कानून को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए लाया गया है। केंद्र सरकार का मानना है कि नए प्रावधान परीक्षा माफिया पर कड़ी कार्रवाई, समयबद्ध जांच और दोषियों को शीघ्र सजा सुनिश्चित करने वाले है। जिससे सार्वजनिक परीक्षा प्रणाली में विश्वास बहाल होगा।

संशोधन के तहत, पेपर लीक या अन्य अनुचित साधनों में शामिल व्यक्तियों के लिए सजा को तीन से पांच वर्ष के बजाय अब पांच से 10 वर्ष तक बढ़ाया गया है। अधिकतम जुर्माना भी 10 लाख से बढ़ाकर 50 लाख रुपये किया है। वहीं, यदि परीक्षा आयोजित कराने वाली एजेंसी, आईटी कंपनी, प्रिंटिंग एजेंसी या अन्य सेवा प्रदाता धोखाधड़ी में शामिल होते हैं, तब उन पर पांच करोड़ रुपये तक का भारी जुर्माना लगाया जा सकेगा। संगठित परीक्षा माफिया के खिलाफ भी कानून को अधिक कठोर किया गया है। इसतरह के मामलों में न्यूनतम सजा अब सात वर्ष और जुर्माना बढ़ाकर 10 करोड़ रुपये किया गया है। दोषी पाए जाने वाले सेवा प्रदाताओं को आठ वर्ष तक किसी भी सार्वजनिक परीक्षा से जुड़े कार्य से प्रतिबंधित रखा जा सकेगा, जिससे उन्हें भविष्य में इसतरह के कृत्यों से रोका जा सके।

जांच प्रक्रिया को समयबद्ध और अधिक कुशल बनाने का लक्ष्य तय किया गया है। पेपर लीक से जुड़े मामलों की जांच दो माह के भीतर पूरी करने तथा आरोपपत्र दाखिल होने के बाद तीन माह के भीतर मुकदमे के निपटारे का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसके लिए प्रत्येक राज्य और केंद्रशासित प्रदेश में विशेष फास्ट-ट्रैक अदालतें नामित की जाएंगी। आवश्यकता पड़ने पर केंद्र सरकार विशेष जांच दल (एसटीएफ) का गठन भी कर सकेगी।

बिना नए तथ्यों के अभियोजन मंजूरी पर पुनर्विचार नहीं किया जा सकताः सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली,(ए)। सुप्रीम कोर्ट ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (पीसी एक्ट) के तहत सरकारी कर्मचारी के खिलाफ अभियोजन की मंजूरी से जुड़े एक महत्वपूर्ण फैसले में स्पष्ट किया है कि यदि सक्षम प्राधिकारी पहले ही मुकदमा चलाने की मंजूरी देने से इनकार कर चुका है, तो उसी साक्ष्य के आधार पर उस निर्णय की समीक्षा या पुनर्विचार नहीं किया जा सकता। अदालत ने कहा कि ऐसा तभी संभव है, जब पहले उपलब्ध न रहे कोई नए तथ्य या नए साक्ष्य सामने आए हों।

न्यायमूर्ति जे.बी. पारदीवाला और न्यायमूर्ति के. विनोद चंद्रन की पीठ ने राजस्थान सरकार की अपील खारिज करते हुए राजस्थान हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा। पीठ ने कहा कि केवल पहले से उपलब्ध सामग्री के आधार पर राय बदलना कानून सम्मत नहीं है और इससे मंजूरी न देने के पूर्व आदेश की समीक्षा का आधार नहीं बनता। मामला वर्ष 2017 में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) द्वारा डॉ. देव कांत मीणा के खिलाफ की गई ट्रैप कार्रवाई से जुड़ा है। उन पर घुटने की सर्जरी के लिए मरीज के परिजन से रिश्वत मांगने का आरोप था। हालांकि जांच के बाद कार्मिक विभाग को रिश्वत मांगने या स्वीकार करने के पर्याप्त प्रमाण नहीं मिले और मार्च 2018 में अभियोजन की मंजूरी देने से इनकार कर दिया गया। इस निर्णय को प्रधान सचिव और मुख्य सचिव ने भी मंजूरी दी थी। बाद में मुख्यमंत्री कार्यालय के निर्देश पर बिना किसी नए साक्ष्य के मामले पर दोबारा विचार किया गया और अभियोजन की मंजूरी दे दी गई। राजस्थान हाईकोर्ट ने इस पुनर्विचार को अवैध ठहराते हुए मंजूरी रद्द कर दी थी, जिसके खिलाफ राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंची। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में मुख्यमंत्री कार्यालय के संयुक्त सचिव की भूमिका पर भी टिप्पणी करते हुए कहा कि सक्षम अधिकारियों द्वारा मंजूरी से इनकार किए जाने के बाद बिना किसी नए तथ्य के मामले को दोबारा खोलना उचित नहीं था।

भिवंडी में चार मंजिला इमारत ढही, 6 की मौत, मलबे में कई लोगों के फंसे होने की आशंका

भिवंडी(ए)। महाराष्ट्र के भिवंडी में गुरुवार देर रात एक दर्दनाक हादसे में चार मंजिला कोहिनूर अपार्टमेंट (बी-विंग) का बड़ा हिस्सा ढह गया। इस हादसे में अब तक 6 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि कई अन्य लोगों के मलबे में फंसे होने की आशंका जताई जा रही है। हादसा रात करीब 11:30 बजे बालाजी नगर क्षेत्र स्थित भंडारी कंपाउंड के गंगाराम वाड़ी इलाके में हुआ। सूचना मिलते ही पुलिस, नगर निगम, दमकल विभाग और राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल (एनडीआरएफ) की टीमें मौके पर पहुंच गईं और राहत-बचाव अभियान शुरू कर दिया।

अधिकारियों के अनुसार मलबे से अब तक छह शव निकाले जा चुके हैं। इसके अलावा एक घायल लड़के को सुरक्षित बाहर निकालकर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं, एनडीआरएफ ने एक महिला को भी मलबे से जीवित बाहर निकालकर इलाज के लिए अस्पताल भेजा। कुछ अन्य लोगों को भी सुरक्षित निकाले जाने की जानकारी सामने आई है। हालांकि, मलबे में अभी भी 4 से 5 लोगों के दबे होने की आशंका के चलते बचाव अभियान लगातार जारी है। नगर निगम ने इस इमारत को पहले ही 'सी-कैटेगरी' यानी अत्यंत जर्जर और खतरनाक घोषित कर रखा था। प्रशासन ने कई नोटिस जारी कर अधिकांश निवासियों को भवन खाली भी करा दिया था। इसके बावजूद ग्राउंड फ्लोर पर मरम्मत का कार्य चल रहा था। जानकारी के अनुसार मरम्मत के दौरान कुछ पिलर तोड़े गए थे।